हादसे में 5 की मौत, 4 घायल

सीहोर, 06 जुलाई. जिले के आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर ग्राम मेना गोदी के पास सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार सभी नौ लोग राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र के भियापुरा गांव के निवासी थे. वे अपने परिवार के एक मानसिक रूप से अस्वस्थ सदस्य का इलाज कराने आष्टा जा रहे थे. लेकिन इलाज की उम्मीद लेकर निकला यह सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए. तीन लोग वाहन से उछलकर दूर जा गिरे, जबकि चालक सहित अन्य लोग वाहन में बुरी तरह फंस गए. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य

ट्रक-बोलेरो की भिड़ंत

शुरू किया. सूचना मिलते ही आष्टा थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. बोलेरो को काटकर घायलों और शवों को बाहर निकाला गया. घायलों को पहले आष्टा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सीहोर जिला अस्पताल और फिर भोपाल रेफर किया गया. पुलिस के अनुसार बोलेरो में राजाराम, भगवान, इंदर सिंह, राधेश्याम, बनेसिंह, गुलाबचंद, हेमराज, देवीराम और चालक अमर सिंह सवार थे.

> हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. आष्टा एसडीओपी दामोदर गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का प्रमुख कारण प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

क्रेशर खदान में डूबने से 3 की मौत

▸ गेंद निकालने गए बच्चों को बचाने बुआ कूदी खदान में

ब्यावरा 06 जुलाई, का. मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में क्रेशर की खदान में डूबने से भाई-बहन और उनकी बुआ की मौत हो गई. बच्चे खदान में डूब रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए उनकी बुआ कूद गईं. इस दौरान बुआ भी गहराई में समा गईं. हादसा ब्यावरा के जगनियापुरा गांव में हुआ. जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे हुआ. मृतकों की पहचान निखरा पारदी (5), नम्रता पारदी (11) और सायराबाई पारदी (35) के रूप में हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.

स्थानीय लोगों ने बताया कि जगनियापुरा के पास स्थित एक स्टोन क्रशर मशीन की गहरी पानी से भरी खदान के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे. खेल के दौरान उनकी गेंद खदान में जा गिरी. गेंद निकालने के लिए निखरा पारदी और उसकी बहन नम्रता पारदी खदान के किनारे पहुंचे.

बुआ सायरा बाई

भाई निखरा पारदी

बहन नम्रता पारदी

बच्चों की चीख सुनकर दौड़ी बुआ

दोनों जैसे ही गेंद निकालने का प्रयास करने लगे, अचानक उनका पैर फिसल गया. वे गहरे पानी में गिरकर डूबने लगे. दोनों बच्चों की चीख-पुकार सुनते ही उनकी 35 वर्षीय बुआ सायराबाई पारदी मौके पर पहुंचीं. बच्चों को डूबता देख उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए खदान में छलांग लगा दी. सायराबाई ने एक बच्चे को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन दूसरे बच्चे को बचाने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया. इस दौरान खदान की गहराई और पानी के कारण वे भी खुद को संभाल नहीं सकीं. देखते ही देखते तीनों पानी में समा गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे. तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद ब्यावरा सिटी थाना पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया.

> **एक घंटे चला रेस्क्यू, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया**
>
> पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर खदान में रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव पानी से बाहर निकाले गए. इसके बाद सभी को तत्काल सिविल अस्पताल ब्यावरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

एमपी में गुणवत्ता यात्रा की शुरुआत

मरीजों की सुरक्षा और बेहतर इलाज पर फोकस, 32 से अधिक अस्पताल जुड़े

भोपाल, 6 जुलाई. मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया -क्यूसीआई) के सहयोग से आज गुणवत्ता यात्रा का शुभारंभ किया. यह राज्यव्यापी पहल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता मानकों को अपनाने तथा एनएबीएच प्रत्यायन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किया. इस अवसर पर भोपाल के जिला कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा (आईएएस), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), भोपाल डॉ. मनीष

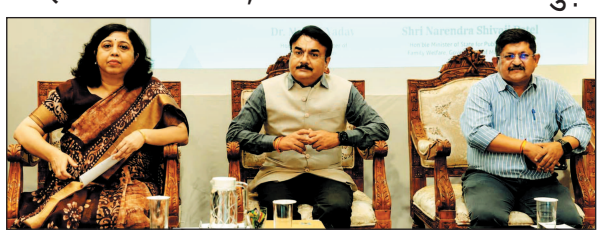

शर्मा, सहित मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला स्वास्थ्य प्रशासन, अस्पताल प्रशासक, चिकित्सक, गुणवत्ता प्रबंधक तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद के घटक बोर्ड राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड द्वारा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), भोपाल तथा जिला स्वास्थ्य प्रशासन के सहयोग से आयोजित यह गुणवत्ता यात्रा राज्यभर में गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

नाना और नातिन के विवाद में मौत, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

ग्वालियर। डबरा में एनएच 75 पर रमेश बाल्मिक और उनकी नातिन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इस दौरान राहगीरों ने बीच बचाव किया। तभी आ रहे दो पुलिस आरक्षक उन्हें रोककर बीच बचाव कराने लगे। धक्का मुक्की में रमेश बाल्मीकि गिर गए। गिरने से उनकी चोट लग गई, तभी उनको डबरा सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही परिजनों का आरोप है कि पिटाई के कारण रमेश वाल्मीकि की मौत हुई है।

सत्य श्याम ट्रेडिंग लिमिटेड

CIN: L51102MP1984PLC002664

पंजीकृत कार्यालय : 110, सियागंज, इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452007

ई-मेल : jjainok@hotmail.com

वेबसाइट : http://www.satyashyam.com/

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित जानकारी

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. कंपनी के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक (EGM) मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को सुबह 11:00 बजे भौतिक माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि EGM की सूचना में दिए गए विशेष कार्यों का निपटारा किया जा सके.
   कंपनी ने सोमवार, 06 जुलाई, 2026 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्याख्यात्मक बयानों के साथ EGM की सूचना भेज दी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA), यानी MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं.
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों (समय-समय पर संशोधित) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, वे सदस्य, जिनके नाम बुधवार, 22 जुलाई, 2026 (कट-ऑफ तिथि) को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से EGM की सूचना में निर्धारित विशेष कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
   a. असाधारण सामान्य बैठक की सूचना में निर्धारित विशेष कार्यों का निपटारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा और बैठक में मतदान द्वारा किया जाएगा;
   b. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी;
   c. रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को शाम 5:00 बजे बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी भी सदस्य को वोट डालने की अनुमति नहीं होगी;
   d. ई-वोटिंग के लिए पात्र सदस्यों के निर्धारण की कट-ऑफ तिथि बुधवार, 22 जुलाई, 2026 है;
   e. कंपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बैलेट पेपर (मतपत्र/पोल) के माध्यम से मतदान का विकल्प प्रदान करेगी;
   f. वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी बुधवार, 22 जुलाई, 2026 को डिपॉजिटरीज/MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा;
   g. कोई भी व्यक्ति, जो EGM की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि बुधवार, 22 जुलाई, 2026 को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही NSDL के साथ पंजीकृत हैं, तो आप वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं;
   h. कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी;
   i. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं;
   j. EGM का विवरण मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://mseindia.com/ पर और कंपनी की वेबसाइट http://www.satyashyam.com/ पर भी उपलब्ध है.

बोर्ड के आदेश से
सत्य श्याम ट्रेडिंग लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/-
अशोक कुमार बंसल
(निदेशक)
DIN : 00545265

दिनांक : 07.07.2026
स्थान : इंदौर

स्कूल भवन ढहाते समय गिरा छत, एक की मौत

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत कनतोरा में सोमवार को शासकीय प्राथमिक शाला के एक पुराने और जर्जर भवन को तोडने के दौरान अचानक उसकी छत भरभरा कर गिर गई। इस मलबे की चपेट में आने से वहाँ कार्य कर रहे दो मजदूर बुरी तरह दब गए। अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पाटन एसडीओपी लोकेश डाबर ने बताया कि कनतोरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का एक हिस्सा लंबे समय से अत्यंत जर्जर और खतरनाक स्थिति में था। सोमवार दोपहर दो मजदूर इस जर्जर ढांचे को गिराने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अचानक छत ढह गई। भारी-भरकम मलबे के नीचे दोनों मजदूर दब गए। धमाके और चीख-पुकार की आवाज सुनकर स्कूल परिसर और आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके

की ओर दौड़े।

घटना की सूचना मिलते ही पाटन पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और पुलिस बल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे को हटाया और दोनों लहूलुहान मजदूरों को बाहर निकाला। दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जबलपुर रेफर किया गया जहां मनोज उर्फ बाबू प्रजापति पिता स्व. हल्के लाल प्रजापति (45) निवासी नूनसर पाटन ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरा मजदूर पवन रैकवार पिता स्वर्गीय मलखान रैकवार (30) निवासी ग्राम कनतोरा हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है।

> **सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल, पुलिस जांच में जुटी**
>
> इस हादसे ने सरकारी निर्माण कार्यों और जर्जर भवनों को गिराने के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो प्राथमिक दृष्टि में यह बात सामने आ रही है कि मजदूरों के पास सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण नहीं थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रहा है कि भवन को ढहाने का ठेका या अनुमति किस स्तर पर दी गई थी और इसमें किसकी लापरवाही रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को क्लीनचिट

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के सामने प्रतिमा बागरी हुई पेश

▸ प्रदीप अहिरवार को भी एक घंटे तक समिति ने सुना

▸ सतना में बागरी राजपूत हैं, ये साबित नहीं हो सका

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 जुलाई. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधायक बनने और फिर राज्यमंत्री बनने के विवादों के बीच सोमवार को राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी मंत्रालय में राज्य स्तरीय छानबीन समिति के सामने पेश हुईं. इस दौरान लगभग दो घंटे तक राज्य मंत्री ने अपना पक्ष रखा.

दस्तावेज और तर्कों के साथ उन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि वे सतना जिले में अनुसूचित जाति वर्ग से ही आती हैं. वहीं दूसरी ओर उन्हें चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने भी समिति के सामने एक घंटे तक पक्ष रखा.

इस दौरान उन्होंने भी दलीलें दी

और ये साबित करने का प्रयास किया कि प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति में नहीं बल्कि राजपूत हैं. इन दलीलों से समिति के सामने ये बड़ा सवाल था कि बागरी सतना जिले में राजपूत समाज या सामान्य वर्ग में आते हैं या नहीं? इस दौरान ये साबित नहीं हो सका कि ये बागरी सतना में राजपूत है. इस आधार पर अब समिति ने राज्य मंत्री को क्लीनचिट देने की तैयारी कर ली है. इस संबंध में कार्यवाही विवरण तैयार होने के बाद आदेश भी जारी हो जाएंगे. समिति की सुनवाई के बाद राज्य मंत्री पर छाये संकट के बादल अब छंटते नजर आ रहे हैं.

हांलाकि समिति की संभावित आदेश के खिलाफ इस मामले को चुनौती देने वाले प्रदीप अहिरवार हाईकोर्ट में फिर चुनौती देने की तैयारी में है. समिति के सामने एक अग्रेंज द्वारा वर्ष 1918 में तैयार रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बागरी सिवनी और होशंगाबाद क्षेत्र में राजपूत समाज में आते हैं.

यह भी कि मप्र में तीन तरह के बागरी है. सुनवाई और जिला प्रशासन से मिले प्रतिवेदन के आधार पर यह भी पाया गया कि सतना में बागरी समाज के लोग जनेऊ तक पहनते हैं, लेकिन सतना में रहने वाले राजपूतों के साथ रोटी-बेटी का संबंध नहीं है. प्रदीप अहिरवार का तर्क था कि 1950 में जहां प्रतिमा बागरी का परिवार रहता था, तब वहां ये समुदाय एससी में नहीं आता था.

नदी में डूबे दो दोस्तों की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

शिवपुरी. जिले के कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम साखनौर से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है. सिंध नदी में नहाने गए दो युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई. दोनों युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने और पिकनिक मनाने पहुंचे थे. नहाने के दौरान नदी के भीतर बने गहरे गड्ढों का अंदाजा न होने के कारण दोनों युवक उसमें समा गए और तेज बहाव व गहराई के कारण बाहर नहीं निकल पाए.

नदी में डूबने वाले मृतकों की पहचान कोलारस निवासी प्रद्युम्न शर्मा (20 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय गोपाल शर्मा, और सादिक खान (24 वर्ष), पुत्र बाबू खान के रूप में हुई है. इस हादसे ने दोनों परिवारों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. मृतक प्रद्युम्न के पिता का कुछ महीनों पहले ही देहांत हुआ था, जिससे परिवार पहले ही सदमे में था और अब इकलौते जवान बेटे की मौत से मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं, सादिक खान के घर में शादियों की तैयारियां चल रही थीं. ठीक दो महीने बाद सादिक का निकाह होने वाला था, लेकिन सेहरा सजने से पहले ही घर में मातम पसर गया. घटना के वक्त मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और मृतक के साथियों ने बताया कि जैसे ही दोनों युवक नदी में डूबे, तुरंत स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया गया था. लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कोई रेस्क्यू या राहत दल मौके पर नहीं पहुंचा.

प्रशासन का इंतजार करने के बजाय, स्थानीय ग्रामीणों और नदी किनारे मौजूद अन्य युवकों ने खुद की जान जोखिम में डालकर बचाव अभियान शुरू किया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को नदी के गहरे पानी से बाहर निकाला है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा :
अगरकर हाई स्कूल भवन, दूसरी मंजिल, सोमवार पेठ, पुणे-411011
दूरभाष संख्या : 7030924140
ई-मेल : bom1446@bankofmaharashtra.bank.in
प्रधान कार्यालय : 1501, लोक मंगल, शिवाजीनगर, पुणे- 411005

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (1), 8 (6) और 9 (1) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदारों यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास गिरवी/प्रभारित है, और जिसका कब्जा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (सुरक्षित लेनदार) के बकाए की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है', और 'जो कुछ भी वहां है' के आधार पर बेचा जाएगा. उधारकर्ता और गारंटरों के विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और उस पर ज्ञात भार कब्जे का प्रकार, आरक्षित मूल्य और बयाना जमा राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है :-

क्र.	उधारकर्ता / गारंटरों के नाम	देय राशि (रु.):
1.	**उधारकर्ता : मेसर्स अदिति इरिगेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** कार्यालय नंबर 101, पहली मंजिल, 'लोटस कोर्ट' पुणे सतारा रोड, सीटीएस नंबर 4618, पर्वती, पुणे - 411009. **श्री प्रमोद अरविंद बलाल (बंधककर्ता और गारंटर) पता :** प्लॉट नंबर 44, जीवन प्रकाश सोसायटी, तावरे कॉलोनी के पास, अरण्येश्वर रोड, पुणे - 411009. **श्रीमती अदिति प्रमोद बलाल (बंधककर्ता और गारंटर) पता :** प्लॉट नंबर 44, जीवन प्रकाश सोसायटी, तावरे कॉलोनी के पास, अरण्येश्वर रोड, पुणे - 411009. **श्री अविनाश अरविंद बलाल (गारंटर) पता :** हाउस नंबर 41, एस.नं. 50/2/1, लक्ष्मण एमराल्ड सिटी, शिवाजी नगर रोड, गरखेड़ा, औरंगाबाद. **श्रीमती अंजलि अविनाश बलाल (गारंटर) पता :** हाउस नंबर 41, एस.नं. 50/2/1, लक्ष्मण एमराल्ड सिटी, शिवाजी नगर रोड, गरखेड़ा, औरंगाबाद.	**रु. 13,80,98,885.95/-** (रुपये तेरह करोड़ अस्सी लाख अन्ठानवे हजार आठ सौ पिच्यासी और पिंच्यानवे पैसे मात्र) और उस पर लगने वाला ब्याज.

अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि / बोली वृद्धि राशि
लॉट नंबर 9 : 11वीं मंजिल पर 'प्रीमियम टॉवर नंबर 1' में स्थित अपार्टमेंट/आवास नंबर 1101 का संपूर्ण हिस्सा, जिसमें 2 BHK की आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं, जसका सुपर बिल्ट-अप एरिया लगभग 1297 वर्ग फीट है (जो कि 120.53 वर्ग मीटर के बराबर है)। यह 'पिनाकल डी ड्रीम्स' में स्थित है, ग्राम : पिपलियाकुमार, तहसील और जिला : इंदौर. जैसा कि संलग्न मानचित्र के अनुसार है और उक्त भूमि के अविभाजित शेयरों के साथ मिलकर घिरा हुआ है जिस पर भवन का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही टाउनशिप पिनाकल 'डी' ड्रीम्स के ऐसे सामान्य क्षेत्रों, रास्तों, विशेषाधिकारों, लाभों का उपयोग करने के अतिरिक्त अधिकार भी शामिल हैं. उक्त अपार्टमेंट को संलग्न योजना में 'लाल' रंग से चिह्नित किया गया है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं : उत्तर की ओर : फ्लैट, नंबर 1102, दक्षिण की ओर : खुला स्थान और बालकनी, पूर्व की ओर : सीढ़ी और लिफ्ट लॉबी, पश्चिम की ओर : खुला स्थान	**आरक्षित मूल्य** रु. 51,00,000/- (रु. इक्यावन लाख मात्र) **ईएमडी** रु. 5,10,000/- (रु. पांच लाख दस हजार मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)
भार : ज्ञात नहीं, **कब्जे का प्रकार :** प्रतीकात्मक	

संपर्क विवरण : पूजा कुरील, वरिष्ठ प्रबंधक : मो. 7030732432 और
कंचनलता पांडे, सहायक महाप्रबंधक और शाखा प्रमुख : मो. 9766340338, अजिंक्य, कानूनी प्रबंधक : मो. 9579730257

क्र.	विवरण		दिनांक और समय
1.	ई-नीलामी की तिथि और समय	(लॉट नंबर 9 के लिए)	30.07.2026 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच.
2.	ईएमडी के साथ केवाईसी जमा करने की अंतिम तिथि		30.07.2026 सुबह 11:00 बजे तक (पीएसबी एलायंस नियमों के अनुसार)
3.	निरीक्षण तिथि और समय	(लॉट नंबर 9 के लिए)	10.07.2026 से 25.07.2026 के बीच सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

1. ई-नीलामी BAANKNET के माध्यम से संचालित की जाएगी. बोलीदाताओं को वेबसाइट https://baanknet.com/eauction-psb पर लॉग इन करना होगा और खुद को पंजीकृत करना होगा. इस संबंध में, कृपया ध्यान दें कि केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन में 2-3 दिन का समय लगता है इसलिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की चिंता/जल्दी से बचने के लिए पहले से ही केवाईसी दस्तावेज पंजीकृत और अपलोड करें. पंजीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए, संपर्क नंबर 8291220220 है. सहायता ई-मेल : support.BAANKNET@psballiance.com है.
2. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://bankofmaharashtra.in/properties_for_sale को देखें.

दिनांक : 06.07.2026
स्थान : पुणे

यह नोटिस क्षेत्रीय भाषा में भी प्रकाशित किया जा रहा है. यदि व्याख्या का कोई प्रश्न उठता है, तो अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम माना जाएगा

सहायक महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	29447424	होम लोन	06-05-2026	1,55,031.32/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. लखनसिंह गब्बू 2. गब्बू सिंह केशर सिंह 3. राधा बाई

संपत्ति का पता: वह पूरी प्रॉपर्टी जो हाउस नंबर 205, वार्ड नंबर 6, सर्वे नंबर 131, पटवारी हल्का नंबर 13, गांव बछोडा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453220 में स्थित है; जिसका माप पूर्व से पश्चिम 30 फीट और उत्तर से दक्षिण 30 फीट है (कुल माप 900 वर्ग फुट); और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में रामप्रसाद का घर, पश्चिम में सम्राट सिंह का घर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में गजराज सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	44919597	संपत्ति के बदले ऋण	20-06-2026	3,05,024.24/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. मुबारक शाह 2. सुल्ताना बी

संपत्ति का पता: प्लॉट नंबर 14 का वह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 30 X 50 = 1500 वर्ग फुट है और जो लैंड सर्वे नंबर 111/1, गाँव: गावला, ग्राम पंचायत: गोविंदपुरा, तहसील और ज़िला: धार, मध्य प्रदेश-454001 में स्थित है; और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: मुख्य सड़क, पश्चिम: श्री वली मोहम्मद (पिता: खुदाबख्श) का घर, उत्तर: सुल्ताना बी का प्लॉट, दक्षिण: इजराइल अमीन शाह।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	81827352	संपत्ति के बदले ऋण	27-06-2026	9,49,343.98/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. जीवन परिहार 2. मोहित जीवन 3. जीवन परिहार 4. दशरथ भोलाराम 5. कला बाई भोलाराम, 6. अनीता परिहार

संपत्ति का पता: वह पूरी रिहायशी प्रॉपर्टी/घर जिसका कुल एरिया 6768 वर्ग फीट है, जो पीएच नंबर 28, नया नंबर 54, सर्वे नंबर 400, गाँव: जलोदिया पंथ, तहसील: देपालपुर, ज़िला: इंदौर, मध्य प्रदेश-453115 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: रेवाराम पिता काशीराम का घर, पश्चिम: देवकीराम पिता भागीरथ का घर, उत्तर: सड़क, दक्षिण: राधेश्याम पिता काशीराम का प्लॉट।

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---